न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 11/2018
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ।

–प्रार्थी

बनाम

1.बालु पुत्र बलदेव कौम कुम्हार (फौत)
1/1 कोयली देवी पत्नी बालु (फौत)
1/2 गुलाबी देवी पुत्री बालु पत्नी केसरमल (फौत)
1/2/1 जगदीश पुत्र केसरमल (फौत)
1/2/1/1 सीताराम पुत्र जगदीश
1/2/1/2 मोहन पुत्र जगदीश
1/2/1/3 सोहन पुत्र जगदीश
1/2/1/4 बजरंग पुत्र जगदीश
1/2/1/5 प्रेमचंद पुत्र जगदीश
नि0 मण्डाभीमसिंह तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर
1/2/1/6 रामपाल पुत्र जगदीश (अविवाहित फौत)
1/2/1/7 प्रेमदेवी पुत्री जगदीश पत्नी श्रवण
1/2/1/7 कमला पुत्री जगदीश पत्नी मुकेश
नि0 पचार तह0 दातारामगढ जिला सीकर
1/2/1/8 गंगा पुत्री जगदीश पत्नी प्रदीप
नि0 डूंगरीकलां तह0 कि0 रेनवाल जिला जयपुर
1/2/2 छितरमल पुत्र केसरमल नि0 भूरडों का बास, दातारामगढ सीकर
1/2/3 शान्ती पुत्री केसरमल पत्नी मदन नि0 कि0 रेनवाल
1/2/4 प्रभाती पुत्री केसरमल पत्नी जगदीश नि0 कि0 रेनवाल
1/2/5 संतोष पुत्री केसरमल पत्नी गणेश नि0 नांदरी(प्रतापपुरा) तह0 कि0 रेनवाल

2. ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सरपंच/उपसरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभीमसिंह

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 24-04-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरँकार प्रार्थी की ओर से।
ब) अधिवक्ता श्री श्याम लाल अग्रवाल अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
स) अधिवक्ता श्री नवलकिशोर यादव अप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970)

प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) में अंकित किया गया है कि ग्राम मण्डाभीमसिंह तहसील कि० रेनवाल के आराजी खसरा नं० 270 रकबा 04–15 बीघा व ख0न0 276 रकबा 2–5 बीघा किता 2 रकबा 7 बीघा लगान 4.90 रूपये मुताबिक सैटलमैन्ट भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2011 से 2019 खाता 52 के अनुसार नानु वल्द बलदेव कौम कुम्हार सा0 देह मु० के नाम खातेदारी दर्ज थी। भूमि जरिये नामान्तकरण

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

सं० 60 दिनांक 16/9/1962 के द्वारा खातेदारी से सिवायचक दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ है। भूमि आराजी ख0नं0 270, 276 किता 2 रकबा 07–0 बीघा भूमि सिवायचक भूमि न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक आदेश क्रमांक/विविध–(82) 779 दिनांक 26/8/1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28/5/1975 निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर उक्त भूमि नामा० सं० 673 दिनांक 17.6.85 के द्वारा सिवायचक से खातेदार नानु वल्द बलदेव कौम कुम्हार सा०देह० के नाम स्वीकृत हुआ। खातेदार नानु वल्द बलदेव कौम कुम्हार के नाम खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2070 तक उक्त भूमि बंजड दर्शाई हुई है तथा मौके पर खाली पडी हुई तथा पेड लगाने हुते मौके पर खड्डे खोदे हुऐ है। खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि आराजी ख0नं0 270 व 276 किता 2 रकबा 7–0 बीघा वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह मुताबिक मौका रिकार्ड के आधार पर स्पष्ट है कि खातेदार का आज तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है तथा ना ही मौजूदा समय में कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर मौके पर खातेदार का कब्जा काश्त नही रहने एवं भूमि अन्य कार्य उपयोग में आने के कारण आवंटित भूमि का प्रकरण खातेदार आवंटी के विरूद्ध आवंटन नियम 14(4) के तहत नियमानुसार प्रकरण तैयार किया गया है। आ.ख0न0 270, 276 किता 2 रकबा 7–00 बीघा भूमि ग्राम मण्डाभीमसिंह तहसील कि० रेनवाल जिला जयपुर की भूमि को निरस्त हेतु प्रकरण तैयार किया गया है जिसके अनुसार खातेदारी निरस्त की कार्यवाही अपेक्षित है। आ.ख0न0 270,276 किता 2 रकबा 7–00 बीघा भूमि ग्राम मण्डाभीमसिंह तहसील कि० रेनवाल जिला जयपुर की भूमि को पटवारी हल्का की रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड की प्रतियों के मुताबिक सिवायचक दर्ज किये जाने हुते कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी मोहनलाल, सीताराम, बजरंगलाल, सोहन, प्रेमचन्द की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि भूमि खसरा नं. 259, 260, 261, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 377, 378, 376, 388, 443 ग्राम मण्डा भीमसिंह वर्तमान तह० किशनगढ़ रेनवाल की जागीर भूमि थी व तत्समय के जागीरदार उस समय मालिक थे। यह भूमि मवेशियों के चरने के काम में आती थी। भूमि पर कभी कृषि कार्य नहीं हुआ, न कृषि योग्य भूमि थी। केवल मात्र मवेशी चरने व ग्राम के सार्वजनिक कार्य में काम आती थी। इन खसरा नम्बरान के लगभग 50 प्रतिशत रकबे पर वन विभाग द्वारा चारा वर्द्धन हेतु लाखों करोडों रूपये खर्चा करके पेड लगाये गये हैं। वर्तमान में सार्वजनिक गाये चरती हैं। काफी हिस्से पर नरेगा का काम किया गया है ,जिसमें डोला निर्माण व पेड लगाने हेतु खड्डे खोदे गये हैं। खसरा नं0 376 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा के सिलसिले में अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया है। इस जमीन या इस जमीन के किसी हिस्से पर हमारा या हमारे बुजुर्गों का कोई कब्जा या काश्त नहीं रहा है। भूमि में गौशाला बनी हुई है। भूमि कभी भी हमारे कब्जे काश्त में नहीं रही है बल्कि भू–प्रबंध के दौरान अन्य के साथ गलती से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई थी। हमने स्वेच्छा पूर्वक गलती स्वीकार करते हुये मौके व रिकॉर्ड के अनुसार जरिये नामान्तरण सं. 61 दिनांक 16.09.1962 को वापस सिवायचक दर्ज करा दी थी। अप्रार्थीगण ने इस भूमि के आवंटन के लिये कभी कोई प्रार्थना पत्र नही दिया, न ही आवंटन कमेटी ने 28.08.1975 को इस भूमि को आवंटित किया। उपखण्ड अधिकारी सांभर ने दिनांक 26.08.1982 को अप्रार्थीगण के हक मे आवंटन होना बताकर खातेदारी दर्ज करने का गलत आदेश दिया था। इसी गलत आदेश की पालना में नामान्तरण सं. 632 दिनांक 30.03.1984 को भूमि को सिवायचक से बालू पुत्र पदमा कौम कुम्हार के नाम खातेदारी गलती से अंकित की गई है। भूमि खसरा नं. 376 रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा से अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक नही है, न अप्रार्थीगण कोई अधिकार क्लेम करते है। गलत राजस्व अंकन के आवंटन आदेश बताकर किये गये राजस्व अंकन को रद्द करने व भूमि को चारागाह की भूमि होने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त भूमि मौके पर चरागाह चली आ रही है।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय), जयपुर

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम मण्डाभीमसिंह तहसील कि० रेनवाल के आराजी खसरा नं० 270, 276 किता 2 रकबा 7 बीघा मुताबिक सैटलमैन्ट भू–प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2011 से 2019 के अनुसार नानु वल्द बलदेव के नाम खातेदारी दर्ज थी। भूमि जरिये नामान्तकरण सं० 60 दिनांक 16/9/1962 के द्वारा अंतर्गत धारा 55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत खातेदारी से सिवायचक दर्ज किया जाना स्वीकृत हुआ। न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक आदेश दिनांक 26/8/1982 के द्वारा आवंटन कमेटी दिनांक 28/5/1975 निर्णय अनुसार पुनः खातेदारी दर्ज करने की कार्यवाही हेतु आदेशित करने पर उक्त भूमि नामा० सं० 673 दिनांक 17.6.85 के द्वारा सिवायचक से खातेदार नानु वल्द बलदेव कौम कुम्हार सा०देह० के नाम स्वीकृत हुआ। उक्त खातेदार नानु वल्द बलदेव कौम कुम्हार के नाम खातेदारी वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2070 तक उक्त भूमि बंजड दर्शाई हुई है तथा मौके पर खाली पडी हुई तथा पेड लगाने हुते मौके पर खड्डे खोदे हुऐ हैं। खातेदार का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। उक्त भूमि पर मौके पर खातेदार का कब्जा काश्त नही रहने एवं भूमि अन्य कार्य उपयोग में आने के कारण आवंटित भूमि का प्रकरण खातेदार आवंटी के विरूद्ध आवंटन नियम 14(4) के अनुसार खातेदारी निरस्त की कार्यवाही की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/2 ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम मण्डा भीमसिंह वर्तमान तह० किशनगढ़ रेनवाल की जागीर भूमि थी व तत्समय के जागीरदार उस समय मालिक थे। यह भूमि मवेशियों के चरने के काम में आती थी। भूमि पर कभी कृषि कार्य नहीं हुआ, न कृषि योग्य भूमि थी। केवल मात्र मवेशी चरने व ग्राम के सार्वजनिक कार्य में काम आती थी। इन खसरा नम्बरान के लगभग 50 प्रतिशत रकबे पर वन विभाग द्वारा चारा वर्द्धन हेतु लाखों करोडों रूपये खर्चा करके पेड लगाये गये हैं। वर्तमान में सार्वजनिक गाये चरती हैं। काफी हिस्से पर नरेगा का काम किया गया है ,जिसमें डोला निर्माण व पेड लगाने हेतु खड्डे खोदे गये हैं। खसरा नं0 376 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा के सिलसिले में अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया है। इस जमीन या इस जमीन के किसी हिस्से पर हमारा या हमारे बुजुर्गों का कोई कब्जा या काश्त नहीं रहा है। भूमि में गौशाला बनी हुई है। भूमि कभी भी हमारे कब्जे काश्त में नही रही है बल्कि भू–प्रबंध के दौरान अन्य के साथ गलती से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई थी। हमने स्वेच्छा पूर्वक गलती स्वीकार करते हुये मौके व रिकॉर्ड के अनुसार जरिये नामान्तरण सं. 61 दिनांक 16.09.1962 को वापस सिवायचक दर्ज करा दी थी। अप्रार्थीगण ने इस भूमि के आवंटन के लिये कभी कोई प्रार्थना पत्र नही दिया, न ही आवंटन कमेटी ने 28.08.1975 को इस भूमि को आवंटित किया। उपखण्ड अधिकारी सांभर ने दिनांक 26.08.1982 को अप्रार्थीगण के हक में आवंटन होना बताकर खातेदारी दर्ज करने का गलत आदेश दिया था। इसी गलत आदेश की पालना में नामान्तरण सं. 632 दिनांक 30.03.1984 को भूमि को सिवायचक से बालू पुत्र पदमा कौम कुम्हार के नाम खातेदारी गलती से अंकित की गई है। भूमि खसरा नं. 376 रकबा 1 बीघा 19 बीस्वा से अप्रार्थीगण का कोई ताल्लुक नहीं है, न अप्रार्थीगण कोई अधिकार क्लेम करते है। उक्त भूमि मौके पर चरागाह चली आ रही है। गलत राजस्व अंकन के आवंटन आदेश बताकर किये गये राजस्व अंकन को रद्द करने व भूमि को चारागाह की भूमि होने में कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम मण्डाभीमसिंह की जागीर भूमि थी। यह भूमि मवेशियों के चरने के काम आती थी। भूमि पर कभी कृषि कार्य नहीं हुआ, ना कृषि योग्य भूमि थी। यह भूमि कृषि भूमि (खारडा) भूमि अंकित थी, जो काश्त के काबिल नहीं होती। तथाकथित खातेदारों ने भी भूमि के सार्वजनिक उपयोग के तथ्य को स्वीकार किया है। खातेदारान का कोई कब्जा नहीं है। इस कारण मजमेआम में तथाकथित खातेदारों ने भूमि सरेण्डर कर दी। सरेण्डर के बाद विधिवत भूमि सिवायचक दर्ज हुयी व नामा० संख्या 60 जमाबंदी क्रमांक 52 से भूमि सिवायचक दर्ज हो गयी। उक्त खातेदारान ने

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय), जयपुर

नामान्तकरण के विरुद्ध कभी कोई आपत्ति नहीं की न भूमि के कब्जेकाश्त करने का प्रयत्न किया। आवंटन कमेटी को सन 1976 से पूर्व राजस्व अंकन, जो नियमानुसार खातेदारों की सहमति से हुये थे, जो अंतिम हो गये थे, जिस पर खातेदारान ने कभी कब्जा या अधिकार क्लेम नहीं किया था, न लगान जमा कराया था, उन खातेदारों को वापस भूमि प्राप्त करने के अंकन का आदेश देने का अधिकार आवंटन कमेटी को नहीं था। आवंटन कमेटी की कार्यवाही दिनांक 28.05.1976 में या कमेटी की मीटिंग में ऐसा कोई प्रस्ताव अंकित नहीं है। उपजिलाधीश ने पत्र क्रमांक विविध(82)779 दिनांक 26.08.1982 के जरिये प्रस्ताव दिनांक 28.05.1976 का हवाला देकर तहसीलदार को आदेश दिया कि भूमि पूर्व खातेदारान के नाम वापिस दर्ज की जावे। यह आदेश बिना किसी आदेश, प्रस्ताव, जांच एवं बिना किसी अधिकार के पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम या संबंधित अधिनियम में आवंटन कमेटी को या उपजिलाधीश सांभर को प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं है। भूमि गिरदावरी संवत 2039–2070 तक बंजड दर्शायी है। सहमति से खोले गये नामान्तकरण व उसके बाद के राजस्व अंकन को बदलने का अधिकारी आवंटन कमेटी या उप जिला अधिकारी को नहीं है। विवादित भूमि पर वन विभाग के पेड लगे हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम वासियों एवं राजकीय सहायता से वर्तमान में गोपाल कृष्ण गौशाला संचालित है। गलत राजस्व अंकन के आधार पर उक्त खातेदारान भूमि को अकृषि कार्य हेतु प्लॉट काटकर बेचना चाह रहे हैं, जिससे वाद विवादिता बढ रही है। अतः सार्वजनिक हित के दृष्टिगत उक्त भूमि पुनः राजकीय खाते में दर्ज किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार एवं विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत रेफरेंस ग्राम मण्डाभीमसिंह के खसरा नंबर 270 एवं 276 के संबंध में विचाराधीन है। उक्त भूमि आवंटन कमेटी दिनांक 28.05.1975 के निर्णय की पालना में नामा0 संख्या 673 दिनांक 17.06.1982 के द्वारा सिवायचक से खातेदार नानू वल्द बलदेव के नाम स्वीकृत हुयी। प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2039–2070 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बंजड रही है, जिस पर काश्तकार द्वारा काश्त नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12/06/2015 में अंकित किया गया है कि उक्त भूमि आराजी ख0नं0 270 व 276 किता 2 रकबा 7 बीघा वाके ग्राम मण्डाभीमसिंह मुताबिक मौका रिकॉर्ड खातेदार का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही मौजूदा समय में कब्जा काश्त है। प्रकरण में माननीय न्यायालय परगना अधिकारी सांभरलेक के आदेश दिनांक 26.08.1982 की पालना में नामान्तकरण संख्या 673 दिनांक 17.06.1985 को स्वीकृत किया गया है जिसमें प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा वर्ष 2015 में प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 14(4) न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अप्रार्थी की खातेदारी निरस्ती हेतु पत्रावली लगभग 40 वर्ष पश्चात पेश की गई है। प्रकरण में अप्रार्थी खातेदार है। मुताबिक तहसीलदार उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं पाया गया। अतः प्रकरण में आवंटन नियमों की 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सक्षम धाराओं के तहत कार्यवाही वांछित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को प्रकरण निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सन्दर्भ में कानून की सुसंगत धाराओं में खातेदारी निरस्ती हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 24-04-25 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR